न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

कदमा नं0 163 / 2024 तारीख रजू :- 30/7/2024

दावा बाबत घोषणा खातेदारी तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

शल आई0डी0 नम्बर 2024 / 345

उनवान

रसिंह पुत्र मिश्रया निवासी बनकी बेडा कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान

----वादीगण--13

बनाम

रसिंह पुत्र बिहारी निवासी कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

----प्रतिवादीगण--14

दिनांक	फर्द अहकाम	
30/7/2024	यह दावा वादीगण की ओर से श्री बिजेन्द्र सिंह गुर्जर एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 22.08.2024 को पेश हो। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली	
22/8/24	वकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त पधारे है। मतानुसार दिनांक.....को पेश हो 23/9/24	
23/9/24	पत्रावली बेड़ा हुई वकुलाय उपस्थित, पत्रावली पूर्वानुसार वास्ते..... ..... दिनांक 5-12-24 को पेश हो।	
10/10/24	पत्रावली पेश हुई। वादीगण व वादीगण वकील उप प्रकरण में वादीगण व वादीगण वकील प्रकरण आगे की चलाना चाहते है। वादीगण व वादीगण वकील ने अवगत कराया कि वादीगण प्रकरण से विड्रा में दाखिल करना चाहते है। अ.मु.न. 163/24 वाला अवमिति [illegible] में दाखिल किया जाता है। [illegible] विड्रा नम्बर से [illegible]	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.25 16:41:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)